भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2242**

23.09.2020 को उत्तर के लिए

**सूचना प्रौद्योगिकी अपशिष्ट का सृजन**

**2242. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :**

**श्री सुधीर गुप्ता :**

**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :**

**श्री बिद्युत बरन महतो :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह आया है कि भारत वैश्विक रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अपशिष्ट का सर्वाधिक सृजन करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कितना सूचना प्रौद्योगिकी अपशिष्ट सृजित हुआ;

(ग) क्या उपरोक्त अध्ययन के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अपशिष्ट सृजन वर्ष 2050 तक भारत में दुगुना हो जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त समस्या से निपटने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सूचना प्रौद्योगिकी अपशिष्ट को पुनर्प्रयोज्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसा कोई भी अध्ययन यह दावा नहीं करता है कि भारत वैश्विक रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अपशिष्ट का सर्वाधिक सृजन करता है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, सीपीसीबी द्वारा 21 प्रकार के अधिसूचित विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के विक्रय संबंधी आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-अपशिष्ट के सृजन का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-2018, वित्तीय वर्ष 2018-2019 और वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन नीचे दिया गया है :

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 21 प्रकार के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के लिए ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन 7,08,445 टन है। यह 244 उत्पादकों के विक्रीय आंकड़ों पर आधारित है।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 21 प्रकार के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के लिए ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन 7,71,215 टन है। यह 1168 उत्पादकों के विक्रय आंकड़ों पर आधारित है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 21 प्रकार के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के लिए ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन 10,14,961.2 टन है। यह 1380 उत्पादकों के विक्रय आंकड़ों पर आधारित है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) पर्यावरणीय अनुकूल विधि से ई-अपशिष्ट के निपटान के लिए, सरकार ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किया है। इन विनियमों का उद्देश्य सभी आवश्यक कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित करना है कि ई-अपशिष्ट का प्रबंधन इस तरीके से किया जाए कि ऐसे ई-अपशिष्ट के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उक्त नियम 01.10.2016 से प्रभावी हैं और इनके निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं:

- ईपीआर प्राधिकरण के माध्यम से ई-अपशिष्ट संग्रहण और वितरण की एक प्रणाली तैयार करने की उत्पादकों को विस्तारित जिम्मेदारी।
- एक प्रभावी ई-अपशिष्ट संग्रहण तंत्र की स्थापना को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना।
- ई-अपशिष्ट को अधिकृत डिस्मेंटलरों और ई-अपशिष्ट के रिसाइक्लरों को वितरित करके पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और युक्तिसंगत रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना।
- अवैध रिसाइक्लिंग/पुन:प्राप्ति संचालन को कम करना।
- इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खतरनाक पदार्थों को कम करना।

उक्त नियमों के तहत, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों को ई-अपशिष्ट के संग्रहण और पर्यावरणीय रूप से युक्तिसंगत प्रबंधन के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) के सिद्धांत के तहत और खुदरा और थोक उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी दी गई है। उक्त नियमों में पर्यावरणीय रूप से युक्तिसंगत संग्रहण, परिवहन, भंडारण, विघटन और ई-अपशिष्ट के रिसाइक्लिंग के प्रावधान हैं। नियमों में, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ईपीआर के तहत, उत्पादकों को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी प्राधिकार (ईपीआरए) प्राप्त करना होगा। ईपीआरए में, उत्पादकों के ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य का उल्लेख किया गया है जो या तो उनके सृजन पर या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री पर आधारित है।

सूचना प्रौद्योगिकी अपशिष्ट सहित ई-अपशिष्ट के रिसाइक्लिंग के लिए, सीपीसीबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 18 राज्यों में 312 ई-अपशिष्ट डिसमेंटलरों/रिसाइक्लरों को प्राधिकार प्रदान किया गया है। अधिकृत डिसमेंटलरों/रिसाइक्लरों की क्षमता 7,82,080.62 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। उक्त नियमों में, सभी अधिकृत डिसमेंटलरों/रिसाइक्लरों को उनके द्वारा संसाधित ई-अपशिष्ट पर आंकड़ों के अनुरक्षण और उसके बाद उनके आकलन और सत्यापन के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को भी यादृच्छिक निरीक्षणों के माध्यम से ई-अपशिष्ट के डिसमेंटलरों और रिसाइकलरों की क्रमिक जांच करनी होती है।

*******